न्यायालय–वि०न्या०गैं०ए०,कक्ष सं०–०६, रायबरेली।
फौ०वाद संख्या–१५२/२०१२
उ०प्र०राज्य बनाम कृष्ण पाल सिंह।

०२.०५.२०१८–

वाद पुकारा गया। अभियुक्त कृष्ण पाल सिंह उन्नाव जेल से उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत है।

मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में इस न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात सर्वप्रथम आज यह पत्रावली मेरे सामने पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका धारा ४८२/३७८/४०७ नं०–६८७/२०१७ में पारित आदेश दिनाँकित ०९.०२.२०१७ के माध्यम से इस मामले का यथा शीघ्र मामले का निस्तारण किये जाने के आदेश दिये थे। उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम आज ही हुयी है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर सूचित किया जाये कि इस मामले के निस्तारण के लिये समय विस्तारित किये जाने की कृपा करें।

मामले के वादी एस०आई० विनोद कुमार यादव को जो कोर्ट सम्मन फिरोजाबाद भेजे गये थे उसकी तामीली पर्याप्त है लेकिन गवाह उपस्थित नहीं हुआ। वाद सन २००८ से लम्बित है। अभियुक्त के द्वारा यह कहा गया है कि वह इस मामल में जमानत पर है। ऐसी स्थिति में गवाह विनोद कुमार यादव के विरूद्ध धारा ३५०सी०आर०पी०सी० की नोटिस जारी हो, जो एस०एस०पी० फिरोजाबाद को पत्र के साथ भेजा जाये। पत्रावली दिनाँक १६.०५.२०१८ को वास्ते साक्ष्य पेश हो।

दिनाँकः–०२.०५.२०१८

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–०६
रायबरेली।